FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज **अदालत** सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

मोहनदान पुत्र रतनदान वगैरा. **बनाम** कैलाशदान पुत्र रतनदान वगैरा.

केस्म **मुकदमा** 212 आर.टी.एक्ट **मु.नं.**......15......**सन्**......2026......

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/ 2026	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन करने से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्ट्या अपूर्णनीय क्षति होने का प्रतीत होता है अतः ग्राम गाडना पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के ख.नं. 141 रकबा 4.3301 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वय करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने पर प्रार्थी को बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 04/03/26 को पेश हो। Satya.. सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	
04/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 06/4/26 को पेश हो। Satya सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	
06/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी को न्यायालय कक्ष में रुक-रुक कर आवाज लगवाई गई परन्तु न तो प्रार्थी स्वयं न ही इनके वकील उप० आये लिहाजा प्रार्थी का प्र.पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Satya.. (सत्यनारायण-I) R.A.S. सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	